दिल्ली विधान सभा समाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों ते सम्बन्धित सामान्य जानकारी
शुक्रवार, 30 तितम्बर, 1994/६, आ दिवन 1916
§ त्रांक

संख्याः 132

सदस्यों की नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, पश्चिम जिला, नई. दिल्ली का दिनांक 28-9-1994 का पत्र दिनांक 28-9-94 को प्राप्त हुआ:-

" मुझे आपको यह सूचित करने का सम्मान िमला है कि श्री मुकेश धर्मा, विधायक को दिनांक 28-9-94 अपराह्न 12-10 बजे पुलिस अधिकारी के तर्कसंगत निदेशों की अवज्ञा करने के लिये जज़रबन्द किया गया था और आवश्यक कारण न मिलने के कारण उसी दिन अपराह्न 12-20 बजे रिहा किया गया ।"

संख्या. 133

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का दिनांक 28-9-94 का निम्नलिखित पत्र दिनांक 29 सितम्बर, 1994 को प्राप्त हुआ:-

" मुझे आपको यह सूचित करने का सम्मान मिला है कि सर्वश्री राम भज, गौरी शंकर भारद्वाज, आलोक कुमार, राम पाल, ओं पी बब्बर, नन्द किशोर गर्ज, सत प्रकाश राणा, वासदेव कप्तान, हिर कृष्ण, मेवा राम आर्य, मदन लाल गांबा, इन्द्रराज सिंह, जगदीश लाल बतरा, पूरन चन्द योगी, जीत राम सोलंकी, नरेश गौड़, जय प्रकाश यादव, बोध राज, मुरारी सिंह पँवार, फतेह सिंह, मोती लाल सोद्री, धर्म देव सोलंकी, विधायकों को उनके समर्थकों सहित संसद मार्ग, नई दिल्ली से पुलिस के विधि सम्मत् निदेशों की अवज्ञा करने के लिये दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत आज दिनांक अर्थात् 28.994 अपराह्न 1.50 बजे नज़रबन्द किया गया था।

उन्हें थाना तंसद मार्ग, नई दिल्ली ते उसी दिन अर्थात् 28.9.94 को अपराह्न २.15 बजे रिहा किया गया ।

इसी प्रकार श्री शोख इकबाल, विधायक को उनके अन्य समर्थकों सहित जंतर मंतर रोड़, नई दिल्ली से पुलिस के विधि सम्मत् निदेशों की अवज्ञा करने के लिये दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत आज अथात् 28. 7. 1994 को अपराह्न 1. 40 बजे नज़रबन्द किया गया था ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् 28. 9. 94 को उसी स्थान से अपराह्न 1. 55 बजे रिहा किया गया था ।"

> पी. एन. गुप्ता सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters) Friday, September 30, 1994/Ashivna 8, 1916 (Saka)

No.132

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following communication dated 28.9.1994 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly, from the Deputy Commissioner of Police, West District, New Delhi, was received on 28th September, 1994:

"I have the honour to inform you that Shri Mukesh Sharma, M.L.A. was detained on 28.9.1994 at 1210 hours for non-compliance of reasonable directions of Police Officer and was released at 1220 hours, the same day as the reasons necessitating has creased to exist."

No.133

The following communication dated 28.9.1994 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly, from the Addl. Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 29th September, 1994:

"I have the honour to inform you that S/Shri Ram Bhaj, Gauri Shankar Bhardwaj, Alok Kumar, Ram Pal, O.P. Babbar, Nand Kishore Garg, Sat Prakash Rana, Vasdev Kaptan, Hari Krishan, Mewa Ram Aryu, Madan Lal Gaba, Inder Raj Singh, Jagdish Lal Batra, Puran Chand Yogi, Jeet Ram Solanki, Naresh Gaur, Jai Prakash Yadav, Bodh Raj, Murari Singh Panwar, Fateh Singh, Moti Lal Sodhi, Dharam Dev Solanki, M.L.As alongwith their other supporters were detained a under section 65 of Delhi Police, Act, 1978, for disobeying the lawful directions of Police from Parliament Street, New Delhi at 1.50 P.M. today i.e. 28.9.1994.

They were released at 2.15 P.M. from P.S. Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 28.9.1994.

Similarly, Shri Shoaib Iqbal, M.L.A. alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of Police from Jantar Mantar Road, New Delhi at 1.40 P.M. today i.e. 28.9.1994.

He was released at 1.55 P.M. from the same place, the same day i.e. 28.9.1994."

P.N. GUPTA SECRETARY